

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
**सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।**  
जिला पदाधिकारी,  
पटना।

पटना, दिनांक फरवरी, 2017.


**विषय:-** बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की मेधा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित चयन समिति की दिनांक 31.03.2015 को हुई बैठक में "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 4.1 में निर्धारित एक वर्ष की अवधि को शिथिल करते हुए दिनांक 02.04.11 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रकाशित मेधा सूची में से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा के क्रम में कराटे खेल विधा के संबंध में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-1461/2014, निर्विकार साहू एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का निर्णय प्राप्त होने के बाद कराटे खेल विधा की प्रकाशित अंतिम मेधासूची में से मेधाक्रम-4 एवं 5 पर विचार करने का निर्णय लिया गया था।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पारित आदेश द्वारा वादियों के दावा को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में चयन समिति की दिनांक 30.08.2016 की बैठक में कराटे खेल विधा की प्रकाशित अंतिम मेधासूची में से मेधाक्रम-4 एवं 5 पर अवस्थित क्रमशः श्री पीयूष एवं सुश्री रजनी कुमारी सिन्हा की नियुक्ति समूह 'ग' के पद पर किये जाने की अनुशंसा की गई।

3. चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय परिपत्र सं० 16144 दिनांक 28.11.2012 में निहित प्रावधान है कि किसी भी नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की निर्धारित प्रक्रिया को शुरू करने के बाद पूर्व से लागू किसी नियम/नियमावली में जबतक कोई संशोधन किसी भूतापेक्षी तिथि से लागू नहीं हो, तब तक जारी नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, के आलोक में "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 (अद्यतन यथासंशोधित) के नियम-4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थियों को बैंड वेतन 5200-20200/- रु० एवं ग्रेड पे-1900/- रु० में बिहार सचिवालय



लिपिकीय सेवा संवर्ग/क्षेत्रीय (समाहरणालय) लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के नाम के सामने स्तम्भ- 7 में अंकित विभाग/कार्यालय आवंटित किया जाता है:-

क्रम सं०	फॉर्म संख्या	नाम एवं पता	खेल विधा	केटेगरी	शैक्षणिक योग्यता	आवंटित विभाग /कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	538	Peeyush (पीयूष) s/o- Ramesh Prasad Singh, B-1, Housing Colony, Kankarbagh, Dist- Patna- 800020	कराटे	सामान्य	इंटरमीडिएट	जिला पदाधिकारी का कार्यालय, पटना।	समूह 'ग'
2	60	Rajni Kumari Sinha (रजनी कुमारी सिन्हा) D/o- Sarvendra Kumar, Mithapur, Raghuna, Dist.- Patna,- 800001	कराटे	पिछड़ा वर्ग	इंटरमीडिएट	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	समूह 'ग'

- उक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन सभी अनुलग्नक (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि , जाति प्रमाण-पत्र, खेल विधा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है।
- जिन शैक्षणिक/आवासीय/खेल प्रमाणपत्रों के आधार पर अंतिम मेधासूची (संलग्न) प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है, नियुक्ति के पूर्व उन मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन उन्हे निर्गत करने वाले संबंधित फेडरेशन/संस्था से कराया जाना आवश्यक है। इससे किसी भी परिस्थिति में **waive** नहीं किया जा सकता है।
- उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा प्रमाणपत्रों के सत्यापन में किसी प्रकार के गड़बड़ी पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
- विभागीय संकल्प संख्या- 2082 दिनांक- 01.04.2003 एवं पत्र संख्या- 1859 दिनांक- 08. 07.2006 में विहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के विभाग द्वारा नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

8. आवंटित विभाग/जिलाधिकारी के कार्यालय में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के उपरांत दिये गये योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

9. किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरत अवगत कराया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 9/नि०-01-01/2011-सा०प्र०...../ पटना 15, दिनांक फरवरी, 2017

प्रतिलिपि- उप सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/नि०-01-01/2011-सा०प्र०.....2121.../ पटना-15, दिनांक-21) फरवरी, 2017

प्रतिलिपि- सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इन्हें निदेश दिया जाता है कि आवंटन पत्र निर्गत होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर आवंटित कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करेंगे।



सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट